

राजिया अमिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार सिमान
 में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अमिलेख
 द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम पिडियापौधे खाल नं० 53 खेसरा नं०
 1546, 1578 रकबा-0.09 हेक्टर 2006-07 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई
 के दौरान निचयान कल्लू ने अपना लिखित बयान दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त Rent Schedule के साथ अन्य कोई दस्तावेज
 नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त
 है। जो अमिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी II में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार
 उप नोट है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम पिडियापौधे खाता नं० 53 प्लॉट नं० 1546, 1578 सर्वे खतियान में किस्म जंगल 84.81 दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सिमान राजिया पिता-बाहिरा खडिया ग्राम-पिडियापौधे के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	धाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
पिडियापौधे	53	83	1546 1578	0.90 रं०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितिकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
बोलबा
3/11/21

अंचल अधिकारी,
बोलबा
3/11/21